कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

कार्यालय–आदेश

श्रीमती पूनम यादव, व्याख्याता राजनीति विज्ञान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, नापासर को दिनांक 12/05/2019 से 18/06/2019 तक (स्वीट्जरलैण्ड, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैण्ड) में विदेश भ्रमण जाने हेतु अनापति प्रमाण पत्र एवं उक्त अवधि तक विदेश भ्रमण जाने की अनुमति निम्नांकित शर्तो के आधार पर दी जाती है –

1. विदेश यात्रा के दौरान किसी प्रकार का व्यवसाय नहीं करेंगे।
2. विदेश यात्रा के लिए प्रथम बार में आवेदित अवकाश में किसी प्रकार की वृद्धि राज्य सरकार की अनुमति बिना स्वीकृति नहीं होगी तथा निर्धारित तथा निर्धारित अवधि के बाद लौटकर नहीं आने पर सी.सी.ए. नियमों के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
3. विदेश से भेजा गया "त्यागपत्र" स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
4. विदेश यात्रा क दौरान राज्य सरकार के माध्यम से कोई विदेशी विनिमय नहीं किया जायेगा एवं न ही राजकीय स्त्रोत से इन्हें कोई विदेशी मुद्रा उपलब्ध करवाई जायेगी।
5. उक्त कर्मचारी सक्षम अधिकारी से अपना अवकाश स्वीकृत कराने के पश्चात ही विदेश को प्रस्थान करेंगे। अवकाश समाप्ति के तत्काल पश्चात संस्था में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रूप से देनी होगी। एक बार में स्वीकृत अवकाश को आगे बढ़ाया नहीं जायेगा।
6. विदेश प्रवास के दौरान किसी भी प्रकार का नियोजन स्वीकार नहीं करेंगे।
7. विदेश प्रवास के दौरान जहाँ–जहाँ पर रहेंगे उनके पत्ते इस विभाग को तुरन्त अवगत करावें।
8. विदेश प्रवास के दौरान किसी प्रकार का अध्ययन नहीं करेंगे।
9. यात्रा का समस्त खर्चा स्वयं के द्वारा वहन किया जावेगा।
10. (अ) सक्षम अधिकारी द्वारा विदेश1 जाने हेतु जब भी अवकाश स्वीकृत किया जावे उससे पूर्व यह पुष्टि आवश्यक रूप से कर लें कि उक्त कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई विभागीय जांच/कार्यवाही प्रस्तावित/विचाराधीन नहीं है।

(ब) कर्मचारी के विरूद्ध तत्समय कोई न्यायिक वाद लम्बित/विचाराधीन नहीं है।

(स) कर्मचारी के अवकाश पर जाने से कार्यालय/संस्था का कार्य प्रभावित नहीं हो।

(द) कर्मचारी द्वारा अपना कार्यभार एवं महत्वपूर्ण दस्तावेजों को हस्तान्तरण पूर्ण रूप से कर दिया गया है।

(नथमल डिडेल)
IAS
निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,राजस्थान
बीकानेर

क्रमांकः– शिविरा/मा/संस्था/सी–6/राज.विज्ञान/विदेश अनुज्ञा/17 दिनांकः– 30/04/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. संबंधित संयुक्त निदेशक/मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा............................
2. जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय)माध्यमिक शिक्षा/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी..................
3. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु ।
4. संबंधित प्रधानाचार्य, को प्रेषित कर लेख है कि संबंधित कार्मिक द्वारा आवेदन अवकाश प्रार्थना पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर विदेश यात्रा हेतु प्रस्थान करावें ।
5. संबंधित कार्मिक..........................
6. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर